प्रेस विज्ञप्ति

28.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर. गुप्ता को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से जालसाजी करके ऋण प्राप्त करने के मामले में की गई धोखाधड़ी के संबंध में की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने सीबीआई, ईओडब्ल्यू, मुंबई द्वारा विंध्यवासिनी ग्रुप की 6 कंपनियों और उनके प्रमोटरों विजय आर गुप्ता और अजय आर गुप्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उनके समूह की कंपनियों ने जाली और गढ़ंत दस्तावेजों के बल पर एसबीआई से कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं हासिल कीं, जो साल 2013 में एनपीए में बदल गईं और एनपीए की राशि 764.44 करोड़ रुपये थी।

ईडी की जांच में पता चला है कि विजय आर गुप्ता ने सिलवासा और महाराष्ट्र में स्टील रोलिंग मिल्स का अधिग्रहण/खरीद करने के लिए 4 विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर विभिन्न टर्म लोन और कैश क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने मॉल के निर्माण और एक वाणिज्यिक भवन और वाणिज्यिक परिसर खरीदने के लिए अपनी एक कंपनी मेसर्स राजपूत रिटेल लिमिटेड के नाम पर भी लोन लिया। प्रमोटर के योगदान के पैसे का भुगतान उनकी जेब से करने से बचने के लिए, जाली और बढ़ाए हुए एमओयू का उपयोग करके ये सभी क्रेडिट सुविधाएं ली गईं। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि उन्होंने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोन खातों से लोन की राशि को डायवर्ट करने और निकालने के लिए 40 से अधिक शेल इकाइयाँ बनाईं। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लोन की राशि का कुछ हिस्सा उन्होंने मुंबई और आसपास के इलाकों में अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।